

**न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक**  
(सुबे सिंह यादव, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

13/2018

श्री सददाम हुसेन मंसूरी निवासी वार्ड नं० 4 बीसलपुर कॉलोनी के पीछे  
टोडारायसिंह जिला टोंक

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

—प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय**

**दिनांक 16.04.2018**


अपील अपीलान्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 12.01.2018 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलान्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

ग्राम पंचायत तिलाजू मे खाता संख्या 198 नया खाता संख्या पुराना 192 एवं खसरा संख्या 4/12 का जिस वक्त अलाटमेंट हुआ और नामान्तकरण भरा, उस नामान्तकरण की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि लोकहित मे देने की कृपा करे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा से अपील के संबंध मे जवाब हेतु पत्राक 412 दिनांक 28.02.2018, 478 दिनांक 14.03.2018, 504 दिनांक 26.03.2018, 550 दिनांक 04.04.2018 व 607 दिनांक 11.04.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।



  
(सुबे सिंह यादव)  
जिला कलेक्टर एवं  
प्रथम अपील अधिकारी टोंक